कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकःआर–57/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–16(गौतम0)/364 दिनांकः अक्टूबर 18 2016,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–06
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स ए0टी0एस0 होम्ज प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0 एस0सी0–01/01, सेक्टर–152, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (एटीएस पिक्चर्सस्क्यूरिपरीज, एटीएस किंगहुड ड्राईव) के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः यूआईडीः2016/25073/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5843/जे0डी0

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 10–10–2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/ सहारनपुर के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– प्रश्नगत भवन का कुल प्लाट एरिया–1,42,879.51 वर्ग मी0 है, प्लेन्ड एरिया–1,06,852.08 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयरकेस की संख्या एवं चौडाई मी0।	ऊचॉई मी0।
1	टावर–01(टाईप–सी)	बेस0+स्टिल्ट+37	684.305	534.365		
2	टावर–02(टाईप–ए)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	506.327	441.795	02 अदद 01.50/01.25	115.35
3	टावर–03(टाईप–ए)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	506.327	441.795	02 अदद 01.50/01.25	115.65
4	टावर–04(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
5	टावर–05(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
6	टावर–06(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
7	टावर–16(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
8	टावर–17(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
9	टावर–18(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
10	टावर–19(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
11	टावर–20(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
12	टावर–21(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
13	टावर–22(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
14	टावर–23(टाईप–ए)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	506.327	441.795	02 अदद 01.50/01.25	115.65
15	टावर–24(टाईप–ए)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	506.327	441.795	02 अदद 01.50/01.25	115.65
16	टावर–25(टाईप–सी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	684.305	534.365	02 अदद 01.50/01.25	115.65
17	टावर–26(टाईप–सी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	684.305	534.365	02 अदद 01.50/01.25	115.35
18	टावर–29(टाईप–सी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	684.305	534.365	02 अदद 01.50/01.25	115.35
19	टावर–30(टाईप–सी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	684.305	534.365	02 अदद 01.50/01.25	115.35
20	टावर–31(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.35
21	टावर–32(टाईप–बी)	बेस0+स्टिल्ट+36+(पेन्टहाऊस)	391.492	324.462	02 अदद 01.50/01.25	115.65
22	कामर्शियल	बेस+भूतल एवं 03 तल	6012.356	4528.808/ 4509.514	04 अदद–1.5 मीटर	21.27
23	कम्यूनिटी क्लब–1	भूतल एवं 01 तल	845.00	780.00/475.00	02 अदद–1.5 मीटर	12.55
24	केच/नर्सरी स्कूल	भूतल एवं 03 तल	326.00	320.103	01 अदद–2.00 मीटर	15.60

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

25	मिल्क बूथ	भूतल	94.50	–		03.50
26	नर्सिंग होम	भूतल एवं 04 तल	235.00	238.530 / 226.035 / 226.035 / 226.035 /	02 अदद–1.5मीटर	15.60

बेसमेन्ट एरिया:– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे एक बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसका कवर्ड एरिया–74,727.387 वर्ग मी0 है, जिसकी छत का निर्माण

भवन का अधिभोग विवरण:– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवासीय भवन श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:–

1–पहुँच मार्ग:– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 45 मी0 एवं दूसरी तरफ 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2–सैटबेक:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–12.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 09 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3–निकास मार्ग:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे उपरोक्त तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट मे 02 रैम्प प्रस्तावित है तथा निकास मार्गो की फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। **इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।**

4–रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत:–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

2–पम्पस:–प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के एक अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, व समान क्षमता का एक अदद स्प्रिंकलर पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है, जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

3–टेरिस टैंक:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, तथा कामर्शियल/कम्यूनिटी भवन की टेरिस पर क्रमशः 20,000/15,000 हजार ली0 क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरील:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवन के समस्त तलों पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है, तथा बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन हेतु वाटर कर्टेन की व्यवस्था करानी अनिवार्य होगी।

10–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

15–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन **एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7** के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ए0टी0एस0 होम्ज प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0 एस0सी0–01/1, सेक्टर–152, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर मे भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

18/10

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
4–मैसर्स ए0टी0एस0 होम्ज प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0 एस0सी0–01/1, सेक्टर–152, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।